International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(II), January - March, 2022, pp.121-128

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों का वर्तमान परिदृष्यः भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं आई. सी. आई. सी. आई.बैंक (ICICI) के संदर्भ में

हरगोविन्द खरेरा*

सार

बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा अपने ग्राहक को दिये जाने वाले किसी भी प्रकार के ऋण के पुनर्भुगतान की सम्भावना नहीं होने, सन्देह होने या गत तीन माह से अधिक अवधि तक उसके ऋण की किश्त अप्राप्य होने पर बैंक सम्बन्धित ऋण की राशि को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल कर लेता है जिसके परिणामस्वरूप बैंक को उचित समय पर अथवा 90 दिनों तक अप्राप्य ऋण की किश्त एवं शेष ऋण की राशि को गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ कहते हैं। यदि किसी बैंक में गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ बढ़ने लगती हैं तो उस बैंक को अन्दर से दीमक की तरह खा जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वह बैंक धीरे–धीरे अन्दर से खोखला होता चला जाता है। और अंत में एक ऐसा समय आता है जब ग्राहकों के हितों की सुरक्षा एवं बैंकिग व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित बैंक को दिवालिया घोषित करने, बन्द करने एवं दुसरे बैंक के साथ विलय करने कि स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बैंकिग क्षेत्र का विकास करने के लिए गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के विकास को रोकना होगा।

मुख्य शब्दः *गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियाँ, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आई. सी. आई. सी. आई बैंक, गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की व्याख्या, परिणाम एवं समाधान।*

---

i:Lrkouk

किसी देश के आर्थिक विकास की स्थिति की जानकारी उस देश में विकसित बैंकिंग व्यवसाय की संरचना से प्राप्त होती है। भारत में महाभारत काल, वैदिक काल, ईसा मशीह काल के 2000 वर्श पूर्व एवं प्राचीन अर्थिक ग्रन्थों से प्राप्त होती है। यहां पर प्राचीन काल में बैंकिंग संचालन में गैर–संस्थागत साख संस्थाओं का बहुत अधिक प्रचलन था, जिसमें समाज के धनी वर्गों में जैसे– महाजन, साहूकार, बोहरा, बणिये, सुनार, जागीरदार, जमीनदार व साँवरिया सेठ आदि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की सहायतार्थ कृशि एवं कृशि के सहायक कार्यों के लिए ऋण लेन देन का कार्य करते थे। लेकिन भारत में ब्रिटिश भाासन के आगमन एवं प्रसार होने के कारण ये गैर–संस्थागत साख संस्थाएं धीरे– धीरे बढ़ते समय के साथ– साथ घटती चली गई, जिससे भारत में गैर–संस्थागत साख संस्थओं की उपयोगिता एवं महत्व कम होने लगा। भारत में आधुनिक बैंकिंग का

* सहायक आचार्य ई.ए.एफ.एम., राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर (शोधार्थी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर), राजस्थान।

विकास 18वीं भाताब्दी में ऐजेन्सी ग्रहों की स्थापना के साथ हुआ माना जाता है। ऐजेन्सी ग्रहों की स्थापना ब्रिटिश व्यावसायी वर्ग के द्वारा भारत में स्थानीय देशी बैंकर्स की भाशा की समस्या एवं कार्य प्रणाली की अज्ञानता के कारण हुई थी। गैर–संस्थागत साख संस्थाओं की अपेक्षा देश में आधुनिक बैंकिंग के विकास में ऐजेन्सी ग्रहों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। ये ऐजेन्सी ग्रह असीमित दायित्व के सिद्धान्त पर आधारित देशी एवं विदेशी व्यापार हेतु भी ऋण प्रदान करते थे।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एवं प्रगति

भारत में आधुनिक बैंकिंग का विकास 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित असीमित दायित्व वाले एजेंसी ग्रहों की स्थापना से प्रारंभ हुई मानी जाती है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एजेंसी ग्रहों के असफल होने एवं बैंकिंग व्यवसाय में सुधार करने के लिए तत्कालीन सरकार ने सरकारी एवं राज्य समर्थक बैंकों की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाते हुए सर्व प्रथम वर्ष 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता, इसके पश्चात वर्ष 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई तथा वर्ष 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना (असीमित दायित्व वाले) मिश्रित पूंजी वाले बैंकों के रूप में की गई थी। जिसमें विदेशी अंशधारी एवं सरकार दोनों की हिस्सेदारी शामिल थी। इन बैंकों की स्थापना असीमित् दायित्व वाले बैंक के रूप में होने के कारण भारतीय बैंकिंग व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे, जिन्हें रोकने के लिए वर्ष 1860 में तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सीमित दायित्व के सिद्धांत पर बैंकिंग विकास को गति मिली। जिससे इलाहाबाद बैंक (1860), एलायंस बैंक ऑफ शिमला (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894) तथा पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया (1901) आदि बैंकों की स्थापना अधिकांश रूप से यूरोपियन पूंजी व्यवस्था के आधार पर और अवध कमर्शियल बैंक (1881) की स्थापना भारतीय अधिकृत पूंजी क्षेत्र में हुई। इन के पश्चात भारत में बैंकिंग क्षेत्र में तिवृ गति से विकास हुआ लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बैंकिंग संस्थाओं की स्थिति खराब होने के कारण देश में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होने अथवा मांग बढ़ने के कारण देश में अनेक सुझावों एवं प्रस्तावों के आधार सूदृड़ बैंकिंग बैंकिंग संचालन के लिए पूर्व में स्थापित तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों(प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ बम्बई एवं प्रेसीडेंसी बैंक ऑफ मद्रास) का एकीकरण करके देश में एक नवीन बैंक "इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया" की स्थापना वर्श 9121 में इम्पीरियल बैंक अधिनियम, 9120 के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की। इस बैंक की अधिकृत पून्जी ₹11.25 करोड़ थी जो ₹ 500 मुल्य के 2.25 लाख अशों में विभाजित थी और इसकी प्रदत पून्जी ₹5.625 करोड़ थी।इस बैंक ने वर्ष 1935 तक देश में केंद्रीय बैंकिंग के कार्यों के सफल संचालन में अपना योगदान दिया तथा वर्ष 1935 के पश्चात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बैंकिंग का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडियाने अपने निर्धारित लक्ष्यों व कार्यों को वर्ष 1939 तक पूरा कर लिया था, इसके बाद भी इस बैंक के कार्य संचालन में अनेक दोष होने के कारण यह बैंक अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दशक पश्चात वर्ष 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडियाकी रिपोर्ट में अनेक कमियां दर्शाई। जिसके आधार पर वर्ष 1951 में भारतीय ग्रामीण साख के विस्तृत अध्ययन के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का गठन किया। जिसने वर्ष 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इस बैंक द्वारा ग्रामीण कृषि साख की उपेक्षा करने, कम साख विस्तार करने एवं शाखा विस्तार में कमी का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया कि ग्रामीण साख के विकास एवं विस्तार के लिए सरकारी नियंत्रण में एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना की आवश्यकता है। इस प्रकार अनेक सुझाव को ध्यान में रखते हुए इंपीरियल बैंक एवं इससे संबंधित 8 अन्य बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर इंपीरिय बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई, 1955 को स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई एवं अन्य 8 बैंकों को इसके सहायक बैंकों के रूप में स्टेट बैंक समूह के अंतर्गत स्थापित किया गया। इस प्रकार भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 के अंतर्गत की गई।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी

स्थापना के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी ₹ 20 करोड़ थी जो कि ₹ 100–100 के 20 लाख अंशों में विभाजित थी एवं पूंजी ₹ 5.625 करोड़ निर्धारित की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अनुसार इस की कुल निर्गमित पूंजी का 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया गया था। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल इक्विटी ₹ 2,50,167.67 करोड़ एवं कुल सम्पत्ती ₹ 49,41,97,492.345 करोड़ है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1955 से वर्ष 1969 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, सरकारी योजनाओं, लघु उद्योगों एवं विदेशी व्यापार के लिए निर्यात हेतु बहुत अधिक मात्रा में शाखा विस्तार किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय वर्ष 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख किया गया कि आगामी 5 वर्षों में 400 शाखाएं खोली जाएंगी। इस लक्ष्य को बैंक ने समय पर पूरा कर लिया था। इस प्रकार बैंक ने वर्ष 1960 तक 907 शाखाएं स्थापित कर ली थी। लेकिन वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने (जनवरी 2022 तक) देश में 22,219 शाखाएं एवं 62,617 एटीएम मशीने देश में स्थापित कर रखी हैं।इसी के साथ इस बैंक में 45.92 करोड ग्राहक हैं तथा 2,85,652 एम्पलोईज कार्यरत हैं और अब तक 38,338 ग्रामीण क्षेत्रों में 12.29 लाख कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है जो कि बैंक के प्रत्यक्ष वित्त का 38.3 प्रतिशत है। बैंक सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित एवं आदेशित योजनाओं में साख विस्तार एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता रहता है।

Sources: bank.sbi./corporate/ar2021/

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड की स्थापना एवं प्रगति

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान है जो वर्तमान में भारत में बैंकिंग व्यापार के साथ–साथ अन्य देशों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवसाय कर रहा है। यह बैंक कार्पोरेट तथा रिटेल ग्राहकों को अनेक प्रकार की सेवा श्रृंखला–चौनल के माध्यम से निवेश बैंकिंग, जीवन व साधारण बीमा, वेंचर कैपिटल एवं वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में अपनी विशेष सहायक संस्थाओं के माध्यम से अनेक बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। आई. सी. आई. सी. आई. बैंक निजी क्षेत्र का सबसे अधिक औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान है। इसने विदेशी व्यापार एवं आयात–निर्यात हेतु गारंटी देने आदि अनेक प्रकार से समय–समय पर साख विस्तार पर जोर दिया। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले सुधार के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार कंप्यूटरीकृत एवं आधुनिक तकनीक से युक्त बैंकों की स्थापना की आवश्यकता होने के कारण और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आधुनिक नवोन्मेशी बैंकों की स्थापना का प्रयास किया गया।जिसके परिणामस्वरूप आई. सी. आई. सी आई. निगम के द्वारा अपनी सहयोगी संस्था के रूप में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्ष 1993 में नर्सिम्हम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना करने के लिए आदेश जारी किये गये जिनके आधार पर आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 एवं भारतीय बैंकिंग (नियमन) अधिनियम, 1949 के अंतर्गत 5 जनवरी, 1994 में अनुसूचित बैंक के रुप में की गई।और इसे 17 मई 1994 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है।

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक की पूंजी

यह बैंक आई. सी. आई. सी. आई. बैंक समूह के द्वारा स्थापित एक निजी व्यावसायिक अभिकरण है जिसकी स्थापना के समय अधिकृत पूंजी ₹ 300 करोड़ एवं निर्गमित पूंजी ₹165 करोड निर्धारित की गई थी। वर्तमान में (जनवरी 2022 तक) बैंक ने देश में 5288 शाखाएं एवं 13824 एटीएम मशीने देश में स्थापित कर रखी हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल इक्विटी ₹ 1,53,078 करोड़ एवं कुल सम्पत्ती ₹ 15,73,812

करोड़ है। इसी के साथ पूरे देश में बैंकिंग व्यवसाय की विभिन्न उत्पादों हेतु अनेक सेवाएं प्रदान की है। इसकी सभी शाखाएं पूर्णत कंप्यूटरीकृत एवं अत्याधुनिक तकनीक पद्धति पर आधारित हैं और इन सभी को नेटवर्क V-SAT सेटेलाइट तकनीक के द्वारा संपन्न कियाजाता है। मार्च 1995 से यह बैंक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (SWIFT) से भी जुड़ गया है. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक द्वारा देश की पहली इनफिनिटी इंटरनेट बैंकिंग (Infinity Internet Banking Service) सेवा प्रारंभ की गई थी। इसके पश्चात बदलते समय एवं आधुनिक जमाने की मांग के कारण सभी बैंकों ने अपने–अपने बैंकिंग क्षेत्र में सफल, सुगम एवं सुविधाजनक कार्य संचालन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा को अपना लिया। आई. सी. आई. सी. आई. बैंक के डिजिटल प्लेटफार्म से इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन धन हस्तांतरण, ऑनलाइन खाता खोलना एवं स्टेटमेंट निकालने जैसे अनेक कार्य ग्राहक अपने मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट एवं कंप्यूटर पर किसी भी समय कहीं से भी कर सकते हैं।

आई. सी. आई. सी. आई. बैंक की प्रगति

लगभग 20 वर्ष की अवधि में ही बैंकिंग व्यवसाय करते हुए बैंक द्वारा कई महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों अर्जित की गई है जिनका संक्षिप्त विवरण अग्र प्रकार है–

बैंक ने 180 शाखाओं के माध्यम से विदेशी बैंकिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें से 48 शाखा ,SWIFT नेटवर्क से संबंधित है। बैंक की तकनीकी विशेषता के कारण यह बैंक बेहतर सुविधाएँ प्रदान करता है। इसकी NOSTRO Account योजना के माध्यम से भेजा हुआ धन 24 घण्टे में प्राप्त हो जाएगा। जिन देशों से भारत के अच्छे बैंकिंग संबंध है, वहां पर 105 मुख्य शाखाएँ हैं। बैंक ने अब तक 22 डवेजतव Accountcuk, हैं। जो कि विश्व की 15 मुद्राओं में हैं। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है।रिटेल सिग्मेंट जहाँ एक ओर जमाओं में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर कोषों की लागत को कम करता है। फुटकर बैंकिंग में अधिक–से–अधिक लोगों से व्यवहार किया जा सकता है, इसलिये यह बैंकिंग का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका मुख्य ध्येय मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय ग्राहकों के साथ व्यवहार जारी करना होता है तथा तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करते हुए उत्पाद की श्रृंखला व सेवा को बढ़ाना होता है ताकि ग्राहक किसी और बैंक की तरफ आकर्षित न हो सके। बैंक ने च्यूमत च्ंल ।बबवनदजशुरू की जिसका लक्ष्य कुछ चयनित समूह के ग्राहकों के वेतन के भुगतान में मदद करना था। इसमें 1700 कम्पनियों ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुये 2,44,200 खातों का निर्माण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिनका खाता खोला गया वह अन्य बैंकिंग क्रियाएँ भी इस बैंक के माध्यम से करने लगे हैं। बैंक ने लघु व्यवसाय के लिए प्रीमियम चालू खाता योजना शुरू की है। इंटरनेट के माध्यम से उपयोगिता बिल भुगतान (Uility bill payment) उपलब्ध करवाया तथा साथ ही बैंक MTNLo टाटा टेलीसर्विस से भी जुड़ गया। इसके अतिरिक्त यह BSNL] Cellular Operatorso BPL Mobilels भी जुड़ा। बैंक ने भारत की सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की तथा बैंकिंग को एक नई संकल्पना Net Banking प्रदान की। बैंक ने अपने ग्राहकों को चल बैंकिंग (Mobile Banking) की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुम्बई की जानी पहचानी ऑरेन्ज कम्पनी जो कि सैल्यूलर सुविधाएँ उपलब्ध कराती है, से संबंध स्थापित कियाजिसका परिणाम यह हुआ कि जो इस कम्पनी व बैंक के समान ग्राहक थे वे मोबाइल से ही अपने व्यवहार कर लेते थे। आगे चलकर मुम्बई में सफलता के पश्चात् दिल्ली में ।पतजमस से संबंध स्थापित किये। बैंक का सूचना तकनीकी विभाग ICICI इन्फोटेक सर्विस लिमिटेड' में एकीकृत हो चुका है, जो अब बैंक व समूह की अन्य कम्पनियों को संपूर्ण सूचना सेवा प्रदान करता है। ग्राहकों की सुविधा को बेहतर बनाने हेतु इस वर्ष ATM स्विच स्थापित किये गए हैं। लेकिन वर्तमान में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक ने (सितम्बर 2020 तक) देश में 5288 शाखाएं एवं 13824 एटीएम मशीने देश में स्थापित कर रखी हैं।जैसा कि बैंक की बहुत कुछ कार्यप्रणाली तकनीकी पर आधारित है। अतः यह अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवाएँ प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग विभाग हेतु 128 इपजतथा सुरक्षित तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी सुरक्षा संगठन द्वारा समय–समय पर सुरक्षा की जाँच की जाती है। यही कारण है कि 2000 में ल2ा से बिना प्रभावित हुए बैंक ने अपने व्यवहार को सुचारू रूप से पूर्ण किया।

(Sources: https://www.icicibank.com/aboutus/about-us.page#:~:text=ICICI%20Bank%20is%20a%20leading,and%2013%2C834%20ATMs%20across%20India.)

गैर– निष्पादित परिसम्पलियाँ (NPA)

निष्पादित परिसंपत्तियां

बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए समस्त प्रकार के ऋण, ग्राहक उचित समय पर ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि अर्थात मूलधन 91दिन या 3माह एवं ब्याज की राशि का भुगतान 365 दिन या एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रोकता है और समस्त मूलधन मय ब्याज उचित समय से पूर्व या समय पर बैंक को चुका देता है तो इसे बैंक की भाशा में निष्पादित सम्पत्तियां (Performing Assets) एवं वित्तीय भाषा में मानक संपत्तियां (Standard Assets) कहा जाता है, क्योंकि इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज से बैंक को आय प्राप्त होती है जिससे समस्त बैंकिंग परिसंचालन का कार्य करने के साथ–साथ लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्हें निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है उस ऋण की राशि को बैंक ग्राहक के खाते में जमा के रूप में दिखाता है। ग्राहक उक्त ऋण की राशि को प्राप्त करके अपने अनेक कार्यों को पूरा करता है। जिससे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक गतिशीलता बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन एवं संचालन बढ़ जाता है जिससे संपूर्ण देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। उन्हें निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां

बैंक द्वारा ग्राहक को दिए गए ऋण का ग्राहक बैंक को कुछ समय भुगतान करने के पश्चात किसी कारणवश ग्राहक ऋण की राशि या मूलधन का भुगतान 91 दिन अथवा 3माह तक एवं ब्याज की राशि का भुगतान 365दिन अथवा 1वर्ष तक या उससे अधिक समय तक करने में असफल रहता है तो बैंक इस प्रकार के ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति मान लेता है ये वही संपत्तियां होती हैं जो बैंक के रिकॉर्ड या खाते में संपत्ति के रूप में तो दर्शाइ हुई होती हैं लेकिन बैंक के लिए इनका निष्पादन समाप्त हो जाता है इसलिए इन्हें गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के नाम से जाना जाता है।

समस्त प्रकार के वाणिज्यिक बैंक मौद्रिक व्यवसाय करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी, गैर–सरकारी एवं बैंकिंग आदि अनेक योजनाओं में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश या विनियोग करने के लिए विभिन्न स्तर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न आय वर्ग के बैंकिंग व गैर–बैंकिंग ग्राहकों को ऋण की राशि प्रदान करते हैं। इस बैंकिंग मौद्रिक व्यवसाय में कुछ ग्राहक समय पर बैंक को ऋण मयब्याज का पुनर्भुगतान कर देते हैं लेकिन कुछ ग्राहक कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते ऋण की राशि मयब्याज नहीं चुका सकते और कुछ ग्राहक जानबूझकर नहीं चुकाते हैं। इस प्रकार बैंकों द्वारा दिया गया ऋण वसूल नहीं होने के कारण फंस जाता है और यह धनराशि गैर– निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का मौद्रिक बाजार में फंसा हुआ कर्ज या ऋण जिसका उचित एवं वैधानिक समय पर पुनर्भुगतान नहीं होता है वह गैर– निष्पादित परिसंपत्ति होती है। गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां भाब्द पूरे विश्व में कार्यरत एवं संचालित सभी प्रकार के बैंकों एवं समस्त प्रकार के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सारगर्भित शब्द है जिससे कुछ संपत्तियों का निष्पादन एवं गैर–निष्पादिन क्षमता का अध्ययन किया जा सकता है और इसका उपयोग ऋणों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए और बैंक के ऋणों की वसूलीकरण के प्रति बैंकिंग नीति एवं प्रबंध व्यवस्था कि जानकारी के लिए किया जा सकता है।

बैंकिंग ऋण का गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तनः

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बैंक को यदि किसी दिए गए ऋण (परिसंपत्ति) से ब्याज के रूप में आय प्राप्त होना बंद हो जाए तो उसे गैर–निष्पादित परिसंपत्ति माना जाना चाहिए। इसके लिए बैंक को संबंधित ऋण खाते को स्पेशल मेंशन अकाउंट (एस. एम. ए.) के अनुसार चिन्हित करना होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट की प्रक्रिया में किसी ऋण खाते में मूलधन और ब्याज की किस्त का पुनर्भुगतान निर्धारित तिथि से 30 दिन तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 0,31 से 60 दिन तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 1 एवं 61 दिन से अधिक समय तक नहीं हो तो उसे एस. एम. ए. 2 की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

किसी ऋण खाते को बैंक द्वारा गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित करने या घोषणा करने के पश्चात बैंक उस गैर–निष्पादित परिसंपत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार तीन प्रकार से विभाजित करके दिखाता है जैसे उपमानक, संदेहास्पद एवं नष्ट गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है जिनकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैः–

उपमानक गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :ऋण की वह राशि जो 18 माह तक वसूल नहीं हो सकी हो उसे उपमानक गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।

- संदेहास्पद गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :ऋण की वह राशि जो 18 महीने से अधिक समय से वसूल नहीं हो सकी हो और ऐसे ऋण की राशि के पुनर्भुगतान की संभावना हो अथवा वसूल होने की संभावना हो तो उसे संदेहास्पद गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।
- नष्ट हो चुकी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां :बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के द्वारा ग्राहक को दिए गए ऋण की वह राशि जो पूर्णतः डूब चुकी है और भविष्य में इस ऋण का ग्राहक द्वारा पुनर्भुगतान अथवा बैंक द्वारा वसूलीकरण असंभव हो जाता है तो ऐसे ऋण को नष्ट हो चुकी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं।
- **शोध अध्ययन कार्य क्षेत्र**

इस शोध अध्ययन का आयोजन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक एवं आई. सी. आई. सी. आई बैंक) के संमकों के आधार पर वर्ष 2010 के संमकों से प्रारम्भ किया गया है।

- **संमक संकलन**
  - **प्राथमिक संमक** : ऐसे संमक जिन्हे अनुसन्धानकर्त्ता द्वारा प्रथम बार आरम्भ से अन्त तक स्वयम् घटना स्थल पर जाकर एकत्रित किये जाते हैं और जिन्हे इससे पूर्व कभी भी किसी भी अनुसन्धान कार्य में प्रयोग में नहीं लिए गए हों तो उन्हें प्राथमिक संमक कहते हैं। ऐसे संमकों को इस अनुसन्धान कार्य में प्रयोग में नहीं लिया गया है।
  - **द्वितीयक संमक** : द्वितीयक समंक वे समंक हैं जो पहले ही अन्य किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किये जा चुके हैं और अनुसन्धानकर्त्ता केवल उनका प्रयोग करता है तो उन्हें द्वितीयक संमक कहते हैं। इस शोध अध्ययन का आयोजन पूर्णतः द्वितीयक संमकों के आधार पर किया गया है। इस शोध कार्य को भारतीय स्टेट बैंकएवं आई. सी. आई. सी. आई. बैंक दोनोंकेवर्ष 2010 के संमकों से प्रारम्भ करके किया गया है क्योंकि प्राचीन संमकों, प्राथमिक संमकों के रूप में प्राप्त करना असुविधाजनक है इसलिए इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए शोध–अध्ययनों, विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, मैगजीन्स, समाचार पत्रों, विभिन्न बैंकिग संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित अन्तिम खातों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जारी किये जाने वाले बुलेटिन आदि के माध्यम से संमकों एकत्रित किये गये हैं।

निर्वचन

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्दि का बैंकों पर तीन प्रकार से प्रभाव पड़ता ही जैसे बैंकों लेन–देन क्षमता में गिरावट आना, लाभ में कमी होना एवं बैंकिंग नकद प्रवाह में कमी आना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वरा जारी नवीन समंकों से यह उल्लेख किया गया कि बैंकों का सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 7.48 प्रतिशत था इस रिसर्च का आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आईसीआईसीआई बैंक की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में तुलनात्मक अध्ययन है इस लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं आई. सी. आई. सी. आई बैंक की वर्ष 2010 से गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की स्थिति निम्न सारणी में दी गई है–

State Bank of India			ICICI Bank		
Non - Performing Assetes			Non - Performing Assetes		
Year	Gross NPA	Net NPA	Year	Gross NPA	Net NPA
2010	19,534.89	10,870.17	2010	24,095.28	28,525.36
2011	25,326.29	12,346.89	2011	28,731.90	33,899.84
2012	39,676.46	15,818.85	*2012*	39,879.38	46,782.80
2013	51,189.39	21,956.48	*2013*	54,968.18	64,939.92
2014	61,605.35	31,096.07	*2014*	75,194.91	89,735.95
2015	56,725.34	27,590.58	*2015*	67,140.34	79,928.13
2016	98,172.80	55,807.02	*2016*	132,685.14	159,580.65
2017	112,342.99	58,277.38	*2017*	141,936.36	170,066.55
2018	223,427.46	110,854.70	*2018*	275,355.10	329,773.45
2019	172,750.36	65,894.74	*2019*	176,034.98	207,972.85
2020	149,091.85	51,871.30	*2020*	142,438.00	167,363.65
31/03/2021	126,389.02	36,809.72	*2021*	41,373.42	9,180.20
30/06/2021	134,259.48	43,152.52	*2021*	43,148.28	9,305.83
31/09/2021	123,941.77	37,118.61	*2021*	41,437.41	8,161.04
31/06/2021	120,028.77	34,539.68	*2021*	37,052.74	7,343.88

(Sources: S.B.I. Bulletin and I.C.I.C.I. Bulletin,
https://www.moneycontrol.com/financials/statebankofindia/results/quarterly-results/SBI/1#SBI and
https://www.moneycontrol.com/financials/icicibank/results/quarterly-results/ICI02)

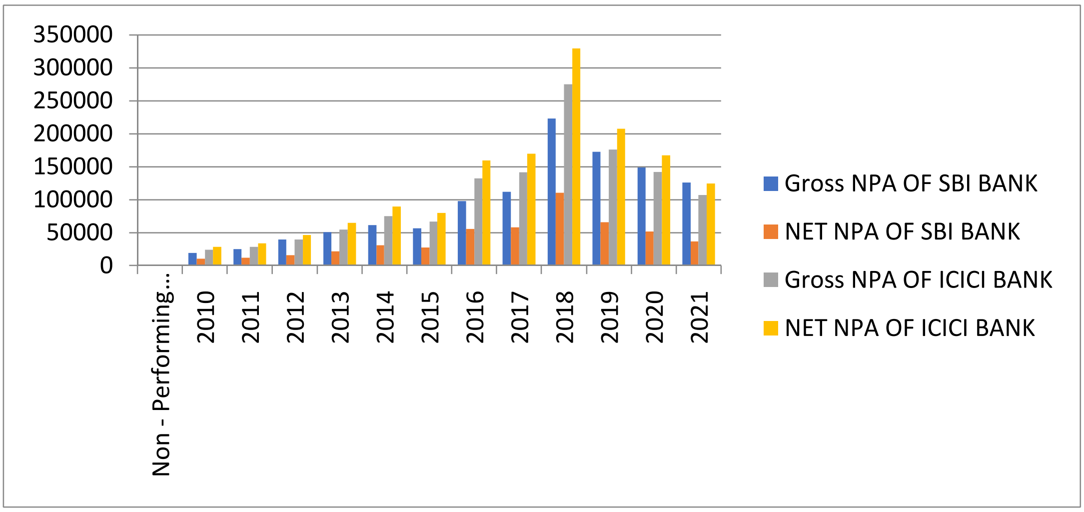

उक्त सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2010 से 2019 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सकल गैर–निष्पादित परिसम्पतियों की राशि आई. सी. आई. सी. आई बैंक की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों कि राशि से कम है जिससे स्पश्ट होता है कि आई. सी. आई. सी. आई बैंक की वसूलीकरण स्थिति ठीक है जबकि आई. सी. आई. सी. आई बैंक का वसूलीकरण प्रबन्ध ठीक नहीं है 31 मार्च 2020 एवं 21 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों की मात्रा आई. सी. आई. सी. आई बैंक के अपेक्षा अधिक है जिससे स्पष्ट होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वसूलीकरण प्रबन्ध व्यवस्था आई. सी. आई. सी. आई बैंक की अपेक्षा ठीक नहीं है वर्ष 2019 के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों में वृद्धि होने के कारण हैं भारत में कोविड–19 के प्रभाव के कारण भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर ऋण देने, कोविड के कारण आर्थिक मंदि को कम करने के लिए अनेक उद्योगों को पुनर्वित की सुविधा प्रदान करने, ऋण स्थिरीकरण, कृषि एवं कृषि के सहायक कार्यो को ऋण देने एवं बेरोजगारों कों रोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने आदि अनेक कार्यों से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में गत 2 वर्षों से सकल गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों की मात्रा बढ़ी है।

उक्त सारणी का अध्ययन करने पर यह जानकारी मिलती है की स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में आई. सी. आई. सी. आई बैंक की अपेक्षा शुद्ध गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि कम है तथा आई. सी. आई. सी. आई बैंक में गैर– निष्पादित परिसम्पत्तियों की राशि अधिक है।

निष्कर्ष

उक्त शोध अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं में प्राचीन समय से ही ऋणों के पुनर्भुगतान की समस्या बनी रहती आई है क्योंकी सरकार के द्वारा गठित विभिन्न बैंकिंग जांच समितियों एवं बैंकिंग जांच आयोगों आदि के द्वार प्रश्तुत किये गए प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों एवं निष्कर्षों, विभिन्न शोध अध्ययनों और वर्तमान बैंकिंग परिस्थितियों के आधार पर दिन प्रति दिन बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ती जा रही हैं जो कि बैंकिंग एवं आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है

सुझाव

उक्त शोध अध्ययन, साहित्य सर्वेक्षणों एवं विभिन्न बैंकिंग जांच समितियों, बैंकिंग जांच आयोगों एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गए बैंकिंग निरीक्षण दलों आदि के परिणामों के आधार पर बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के विस्तार को रोकने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करना चाहिए जैसे– ऋणों की राशि एवं अवधि कम होनी चाहिए, सुरक्षित ऋण पद्दति होनी चाहिए नवीनतम क्रेडिट जोखिम प्रबन्धन तकनीको का प्रयोग करना चाहिए, ऋण वसूली ट्रिब्युनल के अनुसार ऋण मामलों क सुलझाना, प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 के अधीन वसुलीकरण करना, छोटे ऋणों की वसुलीकरण के लिए लोक अदालत का प्रयोग करना, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए समझौता निपटारा तंत्र का प्रयोग करना, ऋण देने से पूर्व सभी बैंकों को क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड के आधार पर जांच करना आदि के द्वारा बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम किया जा सकता है

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कंसल डॉ. अन्जु, शर्मा डॉ. ममता, जैन डॉ. अंकुर एवं छीपा सन्जय कुमार ; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली'', अमेरा बुक कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, 2019.
2. त्रिवेदी प्रो. इन्द्र वर्द्धन, सिंह डॉ. गोपाल, दशोरा डॉ. राकेश, नागर डॉ. अशोक एवं भण्डारी डॉ. इन्द्रकला ; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ैप्ठछ रू 81.8142.066.7ए 2018.19ण
3. ओझा बी.एल. एवं औझा मनोज कुमार ; ''बैंकिंग विधि एवं व्यवहार'', आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ैप्ठछ रू 81.8142.283.ग्ए 2018.19ण
4. गुप्ता प्रो. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी.के. एवं स्वामी डॉ. एच.आर, ; ''बैंकिंग एवं वित्त'' आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ैप्ठछ रू 81.8142.025.ग्ए 2013.14ण
5. गुप्ता डॉ. बी.पी., वशिष्ठ डॉ. वी.के. एवं शर्मा डॉ. रागिनी ; ''भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था'', आर. बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, 65 शिवाजी नगर, शिविल लाइन्स, जयपुर, ैप्ठछ रू 978.81.8142.702.1ए 2018.19ण
6. श्रीवास्तव पी.के. : ''आधुनिक बैंकिंग एवं व्यवहार'', शिवा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 1999.
7. भाटी पी.आर. ; ''इन्टरनेशनल बैंकिंग'', कामनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 1999.
8. माथुर टी.एन.आर. एवं जैन पी.सी. ; ''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'', रिसर्च पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2000.
9. यादव पी.डी. ; ''भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ'', रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002

❖◆❖